"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मई 2011—वैशाख 21, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक 3378/118/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. पी. पाराशर**, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2011)

# छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व ( विनियामक आयोग की स्थापना ) अधिनियम , 2011

विषय सूची

खण्ड

# छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2011)

# छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011

**स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए तथा उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य नगरपालिक राजस्व के संग्रहण तथा उससे संबद्ध अथवा आनुषंगिक विषयों के सुव्यवस्थापन एवं विनियमन के लिए, एक विनियामक आयोग स्थापित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय-एक
## प्रारंभिक

**संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि शासन, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

**परिभाषा.**

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "आयोग" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग;

(ख) "निधि" से अभिप्रेत है, धारा 22 के अधीन सृजित आयोग की निधि;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित आयोग में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य;

(ङ) "नगरपालिक राजस्व" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी राजस्व जो किसी भी स्थानीय नगरीय निकाय के उपभोक्ता प्रभार या अन्य राजस्व लेखों के किसी भी शीर्ष के अधीन आता हो, चाहे वह वसूला गया हो अथवा वसूला नहीं गया हो, रोपित हो या बकाया हो, उद्ग्रहीत हो या उद्ग्रहीत न हो तथा इसमें कर, शुल्क, लेवी, टोल, रायल्टी, चार्ज, भाड़ा, जुर्माना, दंड सहित ब्याज तथा दांडिक ब्याज, जो राजस्व राशि पर भुगतान न करने अथवा भुगतान में विलंब के कारण हो, सम्मिलित होंगे;

(च) "स्थानीय नगरीय निकाय" से निर्देशित है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) अथवा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) के अंतर्गत, यथास्थिति, बनाया गया नगरपालिक निकाय तथा इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायतें सम्मिलित हैं.

## अध्याय-दो
## छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग

**छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग का गठन.**

3. (1) शासन, इस अधिनियम के कानून बनने के पश्चात्, छः माह के भीतर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा एक आयोग का गठन करेगा, जिसे "छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग" कहा जायेगा.

(2) आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लाया जायेगा या वाद प्रस्तुत किया जायेगा.

(3) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(4) आयोग में अध्यक्ष सहित, सदस्य जो तीन से अधिक न हों, समाविष्ट होंगे.

(5) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, शासन द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसाओं पर नियुक्त किए जाएंगे.

**आयोग के अध्यक्ष, और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हताएं.**

4. (1) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, जो राज्य सरकार के सचिव से निम्न स्तर के नहीं होंगे और जो योग्य, सत्यनिष्ठ और ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों तथा जिन्हें नगरीय विकास का पर्याप्त ज्ञान हो एवं जिन्होंने इनसे संबंधित समस्याओं का निपटान करने की क्षमता दर्शित की हो.

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासन, ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त व्यक्ति जो उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित जिला न्यायाधीश से निम्न स्तर का न हो, को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यदि नियुक्ति हेतु चिन्हांकित न्यायाधीश, सेवारत हो, तो इस उपधारा के अधीन नियुक्ति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

(3) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्ति के लिए, उसकी आयु नियुक्ति की तिथि को पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

(4) आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा.

(5) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा.

**आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिये चयन समिति का गठन.**

5. (1) शासन, आयोग के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें समाविष्ट होंगे—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | ऐसा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो | — | अध्यक्ष |
| (ख) | राज्य का मुख्य सचिव | — | सदस्य |
| (ग) | प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास विभाग | — | सदस्य सचिव |

(2) शासन, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसके हटाए जाने के कारण हुई किसी रिक्ति की तारीख से एक माह के भीतर रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को संदर्भित करेगा.

(3) चयन समिति, अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन को, उसे संदर्भित किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर, अंतिम रूप देगी.

(4) चयन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिये तीन नामों के एक पैनल की अनुशंसा करेगी.

(5) चयन समिति, आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये किसी व्यक्ति की अनुशंसा करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है.

(6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है.

## अध्याय-तीन
## आयोग के कृत्य

6. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्— आयोग के कृत्य.

(क) विभिन्न नगरपालिक लोक सेवाओं जैसे जल-प्रदाय, स्वच्छता, सड़कों का रख-रखाव तथा सेवायें, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तथा/या अनुज्ञप्तियां तथा/या परमिट जारी किया जाना तथा कसाई घर, कांजी हाउस सेवाओं का संचालन (प्रवर्तन) एवं रख-रखाव तथा सभी अन्य सुविधायें एवं सेवायें, जो कि संविधान की 12वीं अनुसूची तथा/या छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा/या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) के अंतर्गत स्थानीय नगरीय निकाय को न्यस्त हों, के लिये शुल्क निर्धारण तथा विनियोजन.

**स्पष्टीकरण** — आयोग, स्थानीय नगरीय निकाय के पृथक वर्गों के लिए पृथक तौर पर तथा/या उस स्थान तथा अन्य कारण जो सुविधाओं तथा सेवाओं के मूल्य पर भौगोलिक प्रभाव डाले, के आधार पर स्थानीय नगरीय निकाय के लिए पृथक तौर पर उपरोक्त शुल्क का निर्धारण कर सकेगा.

(ख) किसी शुल्क, लेवी, कर, टोल, भाड़ा, ड्यूटी, जुर्माना, दण्ड तथा किसी अन्य प्राप्तियों के संबंध में स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा दी जाने वाली रियायतों का विनियमन करना.

(ग) स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता तथा निर्भरता से संबंधित मापदण्डों का निर्धारण तथा/या प्रवर्तन करना.

(घ) स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले जुर्माने तथा दंड की मात्रा विनियोजित करना.

(ङ) स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले टोल (शुल्क) एवं कर का निर्धारण एवं विनियोजन.

(च) कुशल, पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायी, आर्थिक रूप से स्व-पोषित स्थानीय स्व-शासन प्रणाली को सहायता देना.

(छ) ई-शासन प्रणाली की सहायता करना.

(ज) नागरिकों के अधिकारों एवं दायित्वों के प्रवर्तन में सहायक होना.

(झ) स्थानीय नगरीय निकायों में अन्तर्वलित शुल्क, लेवी, कर, टोल, भाड़ा, ड्यूटी, जुर्माना, दंड, सेवायें तथा सुविधाओं से संबंधित तथा उससे उत्पन्न विवादों को न्यायनिर्णित करना.

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शुल्क उद्ग्रहित करना.

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत उससे संबंधित हों या उसे सौंपे गये हों.

(2) आयोग, दो वर्ष में कम से कम एक बार समस्त शुल्क, लेवी, कर, टोल, भाड़ा, ड्यूटी, जुर्माना, दण्ड तथा किसी अन्य प्राप्तियों के संबंध में दरों की समीक्षा (पुनर्विलोकन) एवं यथोचित पुनरीक्षण करेगा :

परन्तु, तथापि, किसी वित्तीय वर्ष में किसी शुल्क, लेवी, कर, टोल, भाड़ा, ड्यूटी, जुर्माना, दण्ड तथा किसी अन्य प्राप्तियों के संबंध में दरों की एक बार से अधिक समीक्षा (पुनर्विलोकन) तथा पुनरीक्षण नहीं करेगा.

(3) आयोग, शासन को निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों पर सलाह देगा, अर्थात् :—

(क) संवैधानिक तथा अन्य विधिक प्रावधानों के आशय के अनुसार स्थानीय नगरीय निकायों को स्थानीय स्व-शासन के प्रोत्साहन के लिए शक्तियों का अंतरण.

(ख) स्थानीय नगरीय निकायों की क्षमता बढ़ाना.

(ग) स्थानीय नगरीय निकायों में पारदर्शिता एवं सु-शासन के प्रयोग को प्रोत्साहित करना.

(घ) स्थानीय नगरीय निकायों के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करना.

(4) आयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा.

(5) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन में, राष्ट्रीय नीतियों तथा सभी सुसंगत विधियों द्वारा मार्गदर्शित होगा.

*सलाहकार समिति.*

7. (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त करते हुए, एक समिति स्थापित करेगा जिसे राज्य सलाहकार समिति कहा जायेगा.

(2) राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित नौ हित-समूहों के प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि समाविष्ट होंगे— (एक) वाणिज्य (दो) उद्योग (तीन) परिवहन (चार) बिल्डर (भवन निर्माता), (पांच) वरिष्ठ नागरिक (को), (छः) महिला (सात) नगरीय विकास में सम्मिलित गैर-शासकीय संगठन (आठ) नगरीय विकास में सम्मिलित शैक्षणिक तथा शोध संस्थायें (नौ) विज्ञापन एजेंसी.

(3) आयोग का अध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और आयोग के सदस्य तथा शासन के गृह (हाउसिंग), पर्यावरण, नगरीय विकास एवं प्रशासन के प्रभारी सचिव या उनका प्रतिनिधि जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हों, समिति के पदेन सदस्य होंगे

*सलाहकार समिति के उद्देश्य.*

8. सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को निम्न पर सलाह देने का होगा—

(क) नीति का मुख्य प्रश्न.

(ख) स्थानीय नगरीय निकायों तथा/या उनके अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी (गुणवत्ता), निरंतरता और विस्तार से संबंधित विषय.

(ग) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्तियों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन.

(घ) नागरिकों के हितों का संरक्षण.

(ङ) स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा सेवाओं के प्रदाय में क्वालिटी (गुणवत्ता) के स्तर में सुधार.

9. (1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेंगे : **सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.**

परन्तु आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उसी हैसियत में (पद पर) पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे.

(2) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसे होंगे, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाए :

परन्तु सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात् उनके लिये अलाभप्रद फेरफार (परिवर्तन) नहीं किया जायेगा.

(3) प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जैसा कि विहित किया जाए, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा.

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य—

(क) शासन को लिखित में सूचना देकर जो तीन माह से कम न हो, अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) धारा 10 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा.

(5) किसी सदस्य के उपधारा (4) के अन्तर्गत सदस्य न रहने पर, वह आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति के मामले में किसी भी रीति से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा.

10. (1) किसी सदस्य को, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार ही पद से हटाया जायेगा, अन्यथा नहीं. **सदस्य का हटाया जाना.**

(2) शासन, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि वह—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो.

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, जो शासन की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित हो.

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो.

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

(च) साबित कदाचार का दोषी रहा है.

परन्तु कोई भी सदस्य, खण्ड (घ), (ङ) और (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, अपने पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि जांच की ऐसी प्रक्रिया न अपनाई गई हो जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये तथा जांच प्राधिकरण ने यह रिपोर्ट न की हो कि ऐसे सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटा दिया जाना चाहिए.

(3) शासन, जांच प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, आयोग के किसी सदस्य को निलंबित कर सकेगा जिसके संबंध में जांच प्राधिकरण के अध्यक्ष को, उपधारा (2) के अधीन निर्देशित किया गया है, जब तक कि शासन ऐसे निर्देश पर जांच प्राधिकरण के अध्यक्ष से रिपोर्ट की प्राप्ति के आधार पर आदेश पारित न करें.

## अध्याय-चार
## आयोग की कार्यवाहियां तथा शक्तियां

**आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी.**

11. (1) आयोग, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिये, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, एक सचिव की नियुक्ति कर सकेगा.

(2) आयोग, शासन के अनुमोदन से, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और संवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा.

(3) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि आयोग के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट किया जाए.

(4) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिये अपेक्षित परामर्शी, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए.

**आयोग की कार्यवाहियां.**

12. (1) आयोग, मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान में, ऐसे समय पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष निर्देशित करे, और अपने बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा (जिसमें उनके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी सम्मिलित है) जो कि विनिर्दिष्ट किये जाएं.

(2) अध्यक्ष, या यदि वह आयोग के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामांकित कोई अन्य सदस्य, और ऐसे नामांकित किये जाने के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष नहीं हो, वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से चुना गया कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा.

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का जो आयोग के किसी अधिवेशन के समक्ष आयें, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जायेगा और बराबर मत होने की स्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा.

(4) उपधारा (3) में जैसा कि उपबंधित है के अन्यथा, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा.

(5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय, आयोग के सचिव या किसी अन्य अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, के द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे.

**रिक्तियों आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.**

13. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति के कारण या आयोग के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी.

**आयोग की शक्तियां.**

14. (1) आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित विषयों के संबंध में ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना या उसको हाजिर कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना;

(च) अपने विनिश्चियों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए.

(2) आयोग को आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या विषय में, ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी, जिसे वह उचित समझे.

(3) आयोग, अपने समक्ष कार्यवाहियों में उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे.

15. (1) आयोग के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के पैंतालिस दिनों के भीतर पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. पुनर्विलोकन तथा अपील.

(2) पुनर्विलोकन आवेदन के संबंध में पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश के नब्बे दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी.

16. इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए आयोग, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा बाध्य नहीं होगा, किन्तु अपने स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, जिसमें प्रावधान तथा अधिकारिता संबंधी नियम एवं साक्ष्य सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया, विधिशास्त्र के सिद्धांत, पारदर्शिता, स्थिरता तथा त्वरित, विधिवत् एवं सस्ते न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी. आयोग की प्रक्रिया.

17. आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियां, भारतीय दंड संहिता (1860 का सं. 45) की धारा 193 और 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जाएगा. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां.

18. आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो, ऐसे किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की किसी विषयवस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पर पाया जा सकता है, और ऐसे किसी दस्तावेज को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 100 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां तक वह प्रयोज्य हो, अधिग्रहीत कर सकेगा या उससे उद्धरण या उसकी प्रतियां ले सकेगा. प्रवेश और अधिग्रहण की शक्तियां.

19. आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 14 के अधीन विवादों को न्यायनिर्णीत करने की शक्तियों तथा नियम 6 के अधीन विनियमित करने की शक्तियों को छोड़कर) जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएं, आयोग के किसी सदस्य, सचिव, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा. प्रत्यायोजन.

20. (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोग को नियम बनाने की शक्ति होगी. नियम बनाने की शक्ति.

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे.

(3) उपधारा (2) के अनुसार बनाये गये नियम, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे.

## अध्याय-पांच
## अनुदान, निधि, लेखा, लेखा-परीक्षा और रिपोर्ट

**शासन द्वारा अनुदान और उधार.**

21. शासन, राज्य विधानमंडल द्वारा इस निमित किए गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को ऐसी राशियों का अनुदान और उधार दे सकेगा, जैसा कि शासन आवश्यक समझे.

**शासन द्वारा निधि की स्थापना.**

22. (1) एक निधि का गठन किया जायेगा जिसे राज्य नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) धारा 21 के अधीन शासन द्वारा आयोग को दिया गया कोई अनुदान और उधार.

(ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त की गई सभी फीसें.

(ग) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोतों से, जो शासन द्वारा विनिश्चित किये जाएं, प्राप्त सभी राशियां.

(2) निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिये उपयोजित की जायेगी :—

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक.

(ख) धारा 6 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग के व्यय.

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिये व्यय.

**आयोग का लेखा और लेखा-परीक्षा.**

23. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा और वार्षिक लेखा विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक के परामर्श से शासन द्वारा विहित किया जाए.

(2) आयोग के लेखाओं की, छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, लेखा-परीक्षा की जायेगी और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय, आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक को संदेय होंगे.

(3) छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक तथा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार एवं विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक को शासकीय लेखाओं के लेखा-परीक्षा के संबंध में साधारणत: प्राप्त होते हैं, और विशिष्टत: आयोग की बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(4) छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग के लेखे, उन पर लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के साथ, वार्षिक रूप से शासन को अग्रेषित किये जायेंगे और शासन, उसके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष वैसे ही (यथावत्) रखे जाने हेतु कार्य करेगा.

**आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन.**

24. (1) आयोग प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्ररूप में, ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान के उनके क्रियाकलाप संक्षेप में होंगे और प्रतिवेदन की प्रतियां, शासन को अग्रेषित की जायेंगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जायेगी.

25. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, अपना बजट तैयार करेगा जिसमें अपने प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करेगा और उसे वैसे ही (यथावत्) शासन को अग्रेषित करेगा. **आयोग का बजट.**

## अध्याय-छः
## विविध

26. (1) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन में, नीति के ऐसे विषयों में, जिनमें लोकहित अंतर्वलित हैं, ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, जैसा कि शासन लिखित रूप में दे. **शासन द्वारा निर्देश.**

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत हो कि क्या ऐसा कोई निर्देश, नीति के ऐसे विषय से संबंधित है जिसमें लोकहित अंतर्वलित है, तो उस पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

27. अधिनियम के अधीन दिये गये विषयों के संबंध में, उसमें अंतर्विष्ट प्रावधान, किसी अन्य अधिनियम, नियम या आदेश में अंतर्विष्ट किसी भी प्रावधानों पर अभिभावी (सर्वोपरि प्रभाव) होंगे. **अधिनियम का अभिभावी (सर्वोपरि प्रभाव) होना.**

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक 3378/118/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.**

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2011)

# CHHATTISGARH MUNICIPAL REVENUE (ESTABLISHMENT OF REGULATORY COMMISSION) ACT, 2011

**An Act to establish a regulatory commission to safeguard the interest of citizens and to rationalize and regulate user charges and other municipal revenue collections by urban local bodies, and for matters connected therewith or incidental thereto.**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

## CHAPTER-I
## PRELIMINARY

**Short title, extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from such date as the Government may, by notification, appoint.

**Definitions.**

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission consituted under section 3;

(b) "Fund" means the Fund of the Commission created under section 22;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(d) "Member" means Chairman or Member appointed in the Commission constituted under Section 3 of the Act.

(e) "Municipal Revenue" means any revenue under any head of user charges or other revenue account of any urban local body, whether recovered or not recovered, realized or outstanding, levied or not levied, and includes taxes, fees, levies, tolls, royalities, charges, rents, fines, penalties including interest and penal interest on revenue amounts not paid or paid late.

(f) "Urban Local Body" refers to the municipal body formed in terms of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as the case may be, and includes Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Chhattisgarh.

## CHAPTER-II
## CHHATTISGARH MUNICIPAL REVENUE REGULATORY COMMISSION

**Constitution of the Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission.**

3. (1) The Government shall, within six months after this Act becomes law, by notification, constitute for the purposes of this Act, a Commission to be known as "Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission".

(2) The Commission shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable, and to contrac and shall, by the said name, sue or be sued.

(3) The Head Office of the Commission shall be at such place as the Government may by notification specify.

(4) The Commission shall consist of not more than three Members, including the Chairperson.

(5) The Chairperson and Members of the Commission shall be appointed by the Government on the recommendation of a Selection Committee referred to in section 5.

4 (1) Chairman and Members of the Commission shall be such serving or retired officers who shall be of the rank not below Secretary to the State Government and who shall be persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, and have shown capacity in, dealing with problems relating to urban development. Qualification for appointment of Chairperson and Members of the Commission

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the Government may appoint any serving or retired person not below the rank of a District Judge belonging to higher Judicial Service as Chairperson or Member :

*Provided* that if the judge identified for appointment is in service, the appointment under this sub-section shall be made only after consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court and not otherwise.

(3) For a person to be appointed as Chairman or Member of the Commission he/she should not be above the age of sixty years as on the date of appointment.

(4) The Chairperson or any other Member of the Commission shall not hold any other office.

(5) The Chairperson shall be the Chief Executive of the Commission.

5. (1) The Government shall, for the purposes of selecting the members of the Commission, constitute a Selection Committee consisting of— Constitution of the Selection Committee to select Members of the Commission.

| | | |
|---|---|---|
| (a) | A person who has been a Judge of the High Court. | — Chairperson |
| (b) | The Chief Secretary of the State | — Member |
| (c) | Principal Secretary/Secretary Department of Urban Development. | — Member Secretary |

(2) The Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or a Member, make a reference to the Selection Committee for filling up the vacancy.

(3) The Selection Committee shall finalize the selection of the Chairperson and the Members within three months from the date on which the reference is made to it.

(4) The Selection Committee shall recommend a panel of three names for every vacancy referred to it.

(5) Before recommending any person for appointment as Chairperson or other Member of the Commission, the Selection Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or Member, as the case may be.

(6) No appointment of Chairperson or other Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

## CHAPTER-III
## FUNCTIONS OF THE COMMISSION

**Functions of the Commission.**

6. (1) The Commission shall discharge the following functions, namely :—

(a) Determine and regulate the tariff for various municipal public services like water-supply, sanitation, maintenance of roads and services, issue of various kinds of certificates and/or licenses and/or permits, and operation and maintenance of services like slaughter-houses, kanji houses and all other facilities and services that are entrusted to the urban local bodies under Schedule 12 of the Constitution and/or the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and/or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

**Explanation:**—The Commission may determine the above tariff separately for separate classses of the ULBs (Urban Local Bodies), and/or separately for ULBs on the basis of location and other factors that influence costs of facilities and services.

(b) Regulate the concession granted by the urban local body in respect of any tariffs, levies, taxes, tolls, rents, duties, fines, penalties and any other receipts.

(c) Specify and/or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service (s) rendered to the public by the urban local bodies.

(d) Regulate the quantum of fines and penalties imposed by the urban local bodies.

(e) Determine and regulate the tolls and taxes levied by the urban local bodies.

(f) Facilitate the regime of efficient, transparent, accountable, responsible, financially self-sustainable local self-governance.

(g) Facilitate the regime of e-governance.

(h) Facilitate enforcement of citizens' duties and responsibilities.

(i) Adjudicate upon disputes relating to and arising out of tariffs, levies, taxes, tolls, rents, duties, fines, punalties, services and facilities involving urban local bodies.

(j) Levy fee for the purposes of this Act.

(k) Discharge such other functions as may belong to it or be assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall review and suitably revise the rates relating to all tariffs, levies, taxes, tolls, rents, duties, fines, penalties and any other receipts at least once in two years :

Provided, however, that the rates relating to any tariffs, levies, taxes, tolls, rents, duties, fines, penalties and any other receipts shall not be reviewed and revised more than once in any financial year.

(3) The Commission shall advise the Government on all or any of the following matters, namely :—

(a) Devolution of powers to urban local bodies to promote local self-governance in accordance with the letter and spirit of the Constitutional and legal provisions.

(b) Capacity-building of urban local bodies.

(c) Promotion of transparency and good governance practices in urban local bodies.

(d) Strengthening the financial base of the urban local bodies.

(4) The Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions.

(5) In discharging its funcitons the Commission shall be guided by the national policies, and all relevant laws.

7. (1) The Commission may, by notification, establish with effect from such date as it may specify in such notification, a Committee to be known as the State Advisory Committee. **Advisory Committee.**

(2) The State Advisory Committee shall consist of one representative from each of the following nine interest-groups—(i) Commerce (ii) Industry (iii) Transport (iv) Builders (v) Senior Citizens (vi) Women (vii) Non-Governmental Organization involved in urban development (viii) Educational and Research institutions involved in urban development (ix) Advertisement Agencies.

(3) The Chairperson of the Commission shall be the ex-officio Chairperson of the State Advisory Committee and the Members of the Commission and the Secretary, or his representative not below the rank of Deputy Secretary, to the Government in charge of the departments of housing, environment, urban development and administration shall be the ex-officio members of the Committee.

8. The objects of the Advisory Committee shall be to advise the Commission on— **Objects of the Advisory Committee.**

(a) Major questions of policy.

(b) Matters relating to quality, continuity, and extent of service provided by the urban local bodies and/or their licensees.

(c) Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license.

(d) Protection of citizen's interest.

(e) Improvement of quality standards in delivery of services by the urban local bodies.

9. (1) The Chairperson or other Member shall hold office for a term of five years from the date he enters upon his office : **Term of Office and Conditions of Service of Members.**

*Provided* that the Chairperson or other Members in the Commission shall not be eligible for re-appointment in the same capacity.

(2) The salary, allowlances and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed by the Government.

*Provided* that the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

(3) Every Member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and in such manner and before such authority as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a member may—

(a) Relinquish his office by giving in writing to the Government a notice of not less than three months.

(b) Be removed from his office in accordance with the provisions of Section 10.

(5) A Member on ceasing to be a Member in terms of sub-section (4) shall not represent before the Commission the case of any person in any manner.

Removal of Members.

10. (1) No Member shall be removed from office except in accordance with the provisions of this section.

(2) The Government may by order remove from office any member, if he—

(a) Has been adjudged as insovent.

(b) Has been convicted of an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude.

(c) Has become physically or mentally incapable of acting as a Member.

(d) Has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member.

(e) Has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest;

(f) Has been guilty of proved misbehavior.

*Provided* that no Member shall be removed from his office on any ground specified in clauses (d), (e) and (f) unless an inquiry is conducted with such procedure as may be prescribed by the Government and the inquiry authority reports that the Member ought on such ground or grounds to be removed.

(3) The Government may, in consultation with the Chairperson of the inquiry authority, suspend any Member of the Commission in respect of whom a reference has been made to the Chairperson of the inquiry authority under sub-section (2) until the Government has passed orders on receipt of the report of the Chairperson of the Inquiry Authority on such reference.

## CHAPTER-IV
## PROCEEDINGS AND POWERS OF THE COMMISSION

**Secretary, Officers and Other Emplyees of the Commission.**

11. (1) The Commission may appoint a Secretary to exercise such powers and perform such duties as may be specified.

(2) The Commission may, with the approval of the Government, specify the numbers, nature and categories of other officers and employees.

(3) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Secretary, officers and other employees shall be such as may be specified with the approval of the Commission.

(4) The Commission may appoint Consultants required to assist the Commission in the discharge of its functions on the terms and conditions as may be specified.

**Proceedings of the Commission.**

12. (1) The Commission shall meet at the head office or such other place at such time as the Chairperson may direct, and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings) as it may specify.

(2) The Chairperson, or if he is unable to attend the meeting of the Commission, any other Member nominated by the Chairperson in this behalf and in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by the Members present from amongst themselves, shall preside over the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Commission shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence the person presiding shall have a second or casting vote.

(4) Save as otherwise provided in sub-section (3), every Member shall have one vote.

(5) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Chairperson in this behalf.

**Vacancies etc not to invalidate proceedings.**

13. No act or proceeding of the Commission shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

**Powers of the Commission.**

14. (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely :—

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) Discovery and production of any document or other meterial object producible as evidence;

(c) Receiving evidence on affidavits;

(d) Requisitioning of any public record;

(e) Issuing commission for the examination of witnesses;

(f) Reviewing its decisions, directions and orders;

(g) Any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceedings, hearing or matter before the Commission as it may consider appropriate.

(3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the consumers in the proceedings before it.

**Review and Appeal.**

15. (1) Any person aggrieved by any order of the Commission may, within forty-five days of such order, file an application seeking review.

(2) An appeal against any order passed in respect of a review application may be filed before the High Court within ninety days of the order.

**Procedure of the Commission.**

16. For adjudicating under this Act, the Commission shall not be bound by the Civil Procedure Code, but instead may determine its own procedure which shall include provisions and rules regarding jurisdiction and evidence which procedure shall be based on the principles of jurisprudence, transparency; consistency, and fast, just and inexpensive justice.

**Proceedings before the Commission.**

17. All proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and the Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

**Powers of Entry and Seizure.**

18. The Commission or any officer, not below the rank of a Gazetted Officer, specially authorized in this behalf by the Commission, may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts or copies therefrom subject to the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure,1973 (2 of 1974), in so far as it may be applicable.

**Delegation.**

19. The Commission may, by general or special order in writing, delegate to any Member, Secretary, officer of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except the powers to adjudicate disputes under section 14 and the powers to make regulations under section 6) as it may deem necessary.

**Power to frame Rules.**

20. (1) The Commission shall have the power to frame rules for achieving the purposes of this Act.

(2) Rules framed under sub-section (1) shall be published in the Government Gazettte.

(3) Rules framed according to sub-section (2) shall be placed before the State Legislature at the earliest opportunity.

## CHAPTER-V
## GRANTS, FUND, ACCOUNTS, AUDIT AND REPORT

**Grants and Loans by Government.**

21. The Government may, after due appropriation made by the State Legislature in this behalf, make to the Commission grants and loans of such sums of money as the Government may consider necessary.

**Establishment of Fund by Government.**

22. (1) There shall be consituted a Fund to be called the State Municipal Revenue Regulatory Commission Fund and there shall be credited thereto—

(a) Any grants and loans made to the Commission by the Government under section 21.

(b) All fees received by the Commission under this Act.

(c) All sums received by the Commission from such other sources as may be decided upon by the Government.

(2) The Fund shall be applied for meeting—

(a) The salary, allowances and other remuneration of Chairperson, Members, Secretary, officers and other employees of the Commission.

(b) The expenses of the Commission in discharge of its functions under section 6.

(c) The expenses on objects and for purposes authorized by this Act.

**Accounts and Audit of the Commission.**

23. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Auditor General of Chhattisgarh.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Auditor General of Chhattisgarh at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurrred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Auditor General of Chhattisgarh.

(3) The Auditor General of Chhattisgarh and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Auditor General of Chhattisgarh generally has in connection with the audit of government accounts and, in particular, shall have the right to demand the produciton of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(4) The accounts of the Commision as certified by the Auditor General of Chhattisgarh or any other person appointed by him on his behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause the same to be laid, as soon as it may be after it is received, before the State Legislature.

**Annual Report of the Commission.**

24. (1) The Commission shall prepare once every year in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the Government.

(2) A copy of the report received under sub section (1) shall be laid, as soon as it may be after it is received, before the State Legislature.

**Budget of the Commssion.**

25. The Commission shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing its estimated receipts and expenditure and forward the same to the Government.

## CHAPTER-VI
## MISCELLANEOUS

**Directions by the Government.**

26. (1) In the discharge of its functions, the Commission shall be guided by such directions in matters of policy involving public interest as the Government may give to it in writing.

(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the Government thereon shall be final.

**Act to have over-riding effect.**

27. In respect of matters falling under this Act, the provisions contained herein shall have over-riding effect over any provision contained in any other Act, Rules or Order.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.